केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 संस्थानिक क्षेत्र
18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग
Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली – 110016
New Delhi – 110016
Tele.:011-26858570/26514179(Fax)
Website:www.kvsangathan.nic.in

एफ: 11056/3/PR/UDC/2011–के.वि.सं (मु.) स्था.–3 दिनांक: 25/1/2012

ज्ञापन

विषय: प्रवर श्रेणी लिपिकं के पद पर पदोन्नति ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिकों को प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पे बेंड/वेतनमान रू 5200–20200/– ग्रेड पे रू. 2400/– में पदोन्नति को अनुमोदित कर दिया है और कालम संख्या 6 में उनके नाम के सामने उल्लिखित केंन्द्रीय विद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात किया जाता है । वे अपनी स्वीकृति बिना किसी शर्त के दिनॉक **13.2.2012** तक अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें और प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त होकर एवं नियमानुसार कार्यभार ग्रहण समय का उपयोग करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण कर लें । यदि वे दिनॉक **13.2.2012** तक कार्यमुक्त होने में असफल रहते हैं तो पदोन्नति का यह प्रस्ताव स्वतः ही वापिस लिया माना जाएगा और वे दिनॉक **14.2.2012** के केविसं(मुख्यालय) के पत्र संख्या 6–6/1999/केविसं (मु.)/आरपीएस के अनुसार दिनॉक 13.5.2011 से प्रभावी अगले एक वर्ष तक पदोन्नति के लिए और अन्य तदवर्ती लाभ जैसे वरिष्ठता इत्यादि से विवर्जित हो जाएँगें ।

सामान्य श्रेणी (रिजर्व पैनल)

कसं	वरि. सं	नाम श्री/श्रीमती/कुमारी	जन्मतिथि	वर्तमान के.वि.	से क्षेत्रीय कार्यालय/ केवि में तैनाती
1	321	JYOTSNA SINGH	05.02.1960	NO. 2 CHAKERI KANPUR	MAHOBA
2	322	VIDHU ARNEJA	13.08.1969	KVS(HQ)	GANGAPUR CITY
3	324	S PREETHAKUMARI	14.05.1964	RB KOTTAYAM	IDUKKI
4	325	K K SINHA	07.03.1965	ADRA	FARAKKA
5	326	AMARNATH SINGH	20.08.1969	NPA HYDERABAD	NO.2 DUNDIGAL (AFA) HYDERABAD
6	327	V K CHOUDHARY	01.09.1965	OLD DVS DHANBAD	NO.1 DHANBAD
7	328	SUNIL R WAGH	08.04.1972	ISP NASIK	AURANGABAD (ANT)
8	329	USHA RANI MARTIN	05.06.1954	AFS AVADI	OCF AVADI
9	330	ASHWINI KUMAR SHARMA	05.04.1967	RO DELHI (DEPUTATION MHRD)	RO JAIPUR
10	332	B.K.SINGH	22.12.1970	HEC RANCHI	HINOO RANCHI
11	333	Sh.R.B.P. Singh	20.11.1953	HAJIPUR	MUGHALSARAI

अनुसुचित जाति श्रेणी (रिजर्व पैनल)

कसं	वरि. सं	नाम श्री/श्रीमती/कुमारी	जन्मतिथि	वर्तमान के.वि.	से क्षेत्रीय कार्यालय/ केवि में तैनाती
1	338	P.C. LODHWAL	17.4.1971	NASIRABAD	NO.5 JAIPUR (1ST SHIFT)

2. अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जनजाति कोटे के अंतर्गत की गई पदोन्नति इस शर्त पर होगी कि वे अन.जाति/अन.जनजाति (जैसा भी मामला हो) से वर्तमान में भी संबंधित है, इसके समर्थन में राज्य सरकार के सक्षम प्रधिकारी से वर्तमान प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

3. कर्मचारियों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे अपना वेतन पदोन्नति की तारीख से अथवा अपने पदोन्नति पूर्व के पद पर वेतनवृद्धि की तारीख से जैसे 1 जुलाई निर्धारित करवाएँ । यह विकल्प पदोन्नति के एक महीने के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए ।

4. कर्मचारी को बीमारी/ प्रसूति के कारणों को छोडकर अन्य किसी कारण से कार्यभार ग्रहण करने के विस्तार की अनुमति नहीं होगी तथा बीमारी / प्रसूति के मामले में चीफ मेडिकल आफिसर / मेडिकल सुप्रीटेंडेन्ट/ सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों / परियोजनाओं जिससे विद्यालय संबद्ध है के अस्पतालों के चीफ मेडिकल ऑफिसर अथवा सेना या कमान अस्पताल के चीफ मेडिकल आफिसर द्वारा जारी विधिवत चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए । यह अनुरोध, यदि कोई हो तो दिनॉक **13.2.2012** तक उचित माध्यम द्वारा केविंस (मु.) में प्राप्त हो जाना चाहिए ।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पर तैनाती के स्थान में परिवर्तन या पद पर कार्यभार ग्रहण करने के समय में विस्तार के किसी भी अभ्यावेदन (उपर्युक्त पैरा 4 के अन्तर्गत प्रावधान को छोडकर) पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।

(राजन्मथ सिंह)
उपायुक्त (प्रशा.)

वितरण :

1. संबंधित कर्मचारी को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वे अपनी स्वीकृति अनिवार्यतः दिनांक **13.2.2012** तक भिजवा दें । पदोन्नति की स्वीकृति की स्थिति में उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक **13.2.2012** तक कार्यमुक्त हो जाए ।

2. संबंधित के.वि. के प्राचार्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । यदि अधिकारी पदोन्नति पर जाने का इच्छुक है तो उन्हें अपनी शर्तमुक्त सहमति/ स्वीकृति प्राचार्य के माध्यम से केविसं (मु.) को दिनांक **13.2.2012** तक भिजवानी होगी । यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहते है तो यह माना लिया जाएगा कि उन्हें अपनी पदोन्नति में रूचि नहीं है और उनका पदोन्नति का आदेश बिना किसी अन्य नोटिस के स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा । यदि उन्होने पदोन्नति का स्वीकृति किया तो उन्हें अनिवार्य रूप से दिनांक **13.2.2012** तक या उससे पहले कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि वे अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें, ।

3. कर्मचारी की तैनाती के उपरांत के केवि के प्राचार्य को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की जानकारी से तुरंत अवगत करायें ।

4. उपायुक्त, केविसं, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे उपर्युक्त कम.सं. 2 में दी गई समय-सारणी को सुनिश्चित करवाते हुए कर्मचारी को कार्यमुक्त करें ।

5. वित्त अधिकारी, केविसं, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सुचनार्थ ।

6. अनुभाग अधिकारी, भर्ती एवं पदोन्नति, केविसं (मु.)

7. गार्ड फाइल ।